# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/12/2024 रजू दिनांकः 08.01.2024 रजि0 न0 2024/17

**अपीलार्थीः–**

श्री सर्वदमन शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, निवासी वार्ड नं0 8, सीताराम मंदिर के पास, गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज0)।

**प्रत्यर्थीः–**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**—:: निर्णय ::—**

दिनांकः– 23.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/64 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2023 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 15.11.2023 के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अवगत कराया गया है उक्त के संबंध में अनुरोध है कि प्रकरण में कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2271 दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है, तथापि प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 65–66 दिनांक 10.01.2024 के माध्यम से पुनः भिजवाई जा चुकि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2271 दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है, तथा प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 65–66 दिनांक 10.01.2024 के माध्यम से पुनः भिजवाई जा चुकि है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)